न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चुरू)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 22/2020

जगुसिंह दत्तक पुत्र स्व. लिछमणसिंह जाति राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम घंटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चुरू राजसथान .....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चुरू राज.
2. तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बीदासर जिला चुरू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित :— 1. विद्वान अधिवक्ता रामसिंह राठौड एवं अमरसिंह राठौड वादी की ओर से

2. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से

संसोधित निर्णय दिनांक 19-10-2020

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दत्तक पिता स्व0 लिछमण सिंह पुत्र लूनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चुरू के खुद खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 401 तादादी 8.2328 हैक्टयर भूमि वाके रोही ग्राम **ढिगारिया** में स्थित चली आ रही है। ओर राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में लिछमणसिंह पुत्र लुनसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी के दत्तक पिता स्व0 लिछमणसिंह पुत्र लुनसिंह के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियां नहीं होने के कारण अपनी पीढी को चलाने के लिए अपने सगा भाई बचन सिंह के पौत्र जगुसिंह पुत्र जसुसिंह वादी को दिनांक 27.07.2009 को जरिये दत्तक नामा उप पंजियक बीदासर के समक्ष निष्पादित करवा कर तस्दीक करवा लिया था। वादी को लिछमणसिंह ने गोद ले लिया था। वादी के दत्तक पिता लिछमणसिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.10.2019 को हो जाने के बाद एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी वादी जगुसिंह रहा और लिछमणसिंह के स्वर्गवास के बाद कानूनन उनकी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 401 तादादी 8.2328 हैक्टयर वाके रोही ग्राम **ढिगारिया** की भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम खातेदारी अंकन होनी चाहिये थी परन्तु पंजीकृत दत्तक नामा दिनांकित

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 2 पर

Scanned by CamScanner

27.07.2009 को टकित करते वक्त टंकण की लिपिकीय भूल से लिछमणसिंह के पिता का नाम बचनसिंह अंकित हो गया जबकि वास्तव में बचन सिंह लिछमण सिंह के सगे भाई थे। लिछमण सिंह के पिता का नाम लुनसिंह था। दत्तक नामा में लिछमणसिंह के पिता का नाम लिपीकीय भूल से बचन सिंह होने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करने से इंकार कर दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को अपने अधिवक्ता के मार्फत कानूनी नोटिस दिनांकित 29.01.2020 तथा प्रेषित दिनाकित 30.01.2020 को भिजवाया परन्तु वादी के नाम से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने खातेदारी दर्ज नहीं की। जिस पर वादी ने यह घोषणात्मक वाद व राजस्व रेकार्ड में संशोधन बाबत प्रस्तुत किया है।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी गण की ओर से राज पैरो कार उपस्थित और प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दावे में तनकी कायम की गई।

साक्ष्य वादी में गवाह वादी स्वयं पी डब्लू 01 जगुसिंह, पी डब्लू 02 भगवान सिंह, पी डब्लू 03 विक्रम सिंह, पी डब्लू 04 भंवरसिंह, व पी डब्लू 05 रतन कंवर के बयान लेख बद्ध किये गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079, प्रदर्श 02 प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, प्रदर्श 03 दत्तक नामा, प्रदर्श 04 लिछमणसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 05 कानूनी नोटिस, प्रदर्श 06 व प्रदर्श 07 रजिस्ट्री डाक रसीदे, प्रदर्श 08 लिछमणसिंह का वोटर कार्ड प्रदर्श 09 लिछमणसिंह का जोब कार्ड, प्रदर्श 10 लिछमणसिंह का आधार कार्ड, प्रदर्श 11 वादी जगुसिंह का आधार कार्ड, प्रदर्श 12 वादी जगु सिंह का राशन कार्ड दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए।

बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादी के अधिवक्ता ने अपनी मोखिक बहस में दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने दावे में पांच गवाहन की साक्ष्य करवाई है और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 12 दस्तावेजात ठोस साक्ष्य के सबुत के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये है। वादी के समस्त गवाहन ने एक स्वर में कथन किया है कि दत्तक नामा प्रदर्श 03 कम्प्युटर से टाईप करते वक्त लिपीकिय भूल से लिछमणसिंह के पिता का नाम बचन सिंह टाईप हो गया। जबकि लिछमणसिंह के पिता का नाम लूनसिंह था। लिछमणसिंह का स्वर्गवास दिनांक 31.10.2019 को हो गया है और लिछमण सिंह के एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी कानूनी तोर पर वादी ही है। स्व0 लिछमण सिंह के खातेदारी एवं कब्जा

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

काश्त के खेत खसरा नम्बर 401 तादादी 8.2328 हैक्टयर वाके ग्राम **ढिगारिया** की खातेदारी भूमि में वादी उनका वैधानिक दत्तक पुत्र होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम से करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रदर्श 03 दत्तक नामा के गवाह पी डब्लू 02 भगवान सिंह व पी डब्लु 03 विक्रम सिंह व दत्तक नामा ड्रापट कर्ता पी डब्लु 03 भंवर सिंह के बयान करवाये है। उक्त गवाहन ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि लिपीकीय भूल से लिछमणसिंह के पिता का नाम बचन सिंह अंकित हुआ है जबकि लिछमण सिंह के पिता का नाम लूनसिंह था। वादी स्वयं व वादी की प्राकृतिक माता रतन कंवर ने अपने न्यायालय बयानों में कथन किया है कि लिपीकीय भूल से लिछमणसिंह के पिता का नाम बचन सिंह अंकित हुआ है जबकि लिछमण सिंह के पिता का नाम लूनसिंह था। वादी ने अपने दत्तक पिता स्व0 लिछमणसिंह के पिता का नाम लूनसिंह होने के सम्बंध में दस्तावेजात प्रदर्श 01 प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079, प्रदर्श 02 प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, प्रदर्श 04 लिछमणसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 08 लिछमणसिंह का वोटर कार्ड प्रदर्श 09 लिछमणसिंह का जोब कार्ड, प्रदर्श 10 लिछमणसिंह का आधार कार्ड, पेश कर प्रदर्शित करवाये। उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि लिछमण सिंह के पिता का नाम लूनसिंह है जबकि लिपीकीय भूल से लिछमणसिंह के पिता का नाम प्रदर्श 03 दत्तक नामा में बचन सिंह अंकित हुआ है। लिछमण सिंह के पिता का नाम लूनसिंह है। वादी प्रदर्श 03 दत्तक नामा के आधार पर व मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्व0 लिछमणसिंह पुत्र लुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चुरू की खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 401 तादादी 8.2328 हैक्टयर वाके रोही ग्राम **ढिगारिया** तहसील बीदासर जिला चुरू की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी अपने नाम से करवाने का अधिकारी है। वादी का दावा स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी घोषणात्मक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी पंजीकृत दत्तक नामा दिनांकित 27.07.2009 के आधार पर स्व0 लिछमणसिंह पुत्र लुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चुरू का दत्तक पुत्र होने के कारण स्व. लिछमण सिंह की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 401 तादादी 8.2328 हैक्टयर वाके रोही ग्राम **ढिगारिया** तहसील बीदासर की भूमि का

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चुरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 को आदेशित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री के मुताबिक वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे व लगान कायम करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

संसोधित निर्णय आज दिनांक 13-10-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner